रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, अप्रैल 29—मई 5, 2012, शनिवार/वैशाख 9—वैशाख 15, 1934

No. 18] NEW DELHI, APRIL 29—MAY 5, 2012, SATURDAY/VAISAKHA 9—VAISAKHA 15, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 91.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती नियम, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (नयाचार अधिकारी), भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती नियम, 1999 में,—

(i) नियम 2 में "वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 3 में "स्तंभ 5 से स्तंभ 14" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तंभ 5 से स्तंभ 13" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iii) विद्यमान "अनुसूची" के स्थान पर, निम्नलिखित "अनुसूची" रखी जाएगी, अर्थात् :—

(12)

3. Controller/Joint Controller/Deputy Controller/ Assistant Controller of Accounts, Regional Pay and Accounts Office (IB), Shillong	—Member

[F. No. NEC/ADM/20/2010 (Pt. II)]
S. MITRA, Director (Admn. and Plg.)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मई, 2012

सा.का.नि. 97.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सहायक इंजीनियर (सिविल), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक इंजीनियर (सिविल)	6*(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	30 वर्ष से अनधिक **टिप्पण 1** : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के

	(6)
	लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक/ वृत्तिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या सिविल इंजीनियरी में एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीच्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया (एएमआईई) से प्रौद्योगिकी (सिविल इंजीनियरी) में स्नातक या इंजीनियरी (सिविल) में स्नातक की डिग्री । **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा किसी न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसा वरिष्ठ तकनीकी सहायक, जो सिविल इंजीनियरी में डिग्री रखता हो और साथ में जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसने केन्द्रीय सरकार के संगठनों द्वारा संचालित राजमार्ग सेक्टर में दो सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(11)

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006, वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान ढांचा विस्तारित किया गया है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006, जो वह तारीख है जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान ढांचा विस्तारित किया गया है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय वहां के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों को एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलित किया गया है, और जहां यह फायदा केवल उस पद (उन्हीं पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(12)	(13)
प्रोन्नति तथा पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. महानिदेशक (सड़क विकास) या अपर महानिदेशक —अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर (सिविल या यांत्रिकी) —सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं ।

[सं. ए-12018/1/2009-ई II (बी)]

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

New Delhi, the 2nd May, 2012

G.S.R. 97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Engineering Service (Roads) Group 'B' posts Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Engineer (Civil) in the Ministry of Road Transport and Highways, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, Assistant Engineer (Civil), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the post, its classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.** —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Engineer (Civil)	6* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, ₹ 9300—34800 plus Grade Pay of ₹ 4600	Selection	Not exceeding 30 years. **Note 1 :** Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal

	(6)
	Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational/ professional qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : Bachelor in Technology (Civil Engineering) or Bachelor's Degree in Engineering (Civil) from a recognised University or Institute or Associate Membership of the Institution of Engineers India (AMIE) in Civil Engineering. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recoreded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Age : No Educational qualifications : Yes	Two year for direct recruits.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	**Promotion :** Senior Technical Assistant in Pay Band-2, ₹ 9300—34800 plus grade pay ₹ 4200 having degree in Civil Engineering with five years' regular service in the grade and having successfully completed two weeks Refresher Course in Highway Sector conducted by Central Government Organisations. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(11)

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation :—

Officers under the Central Governments :—

(a) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or

(II) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2 of ₹ 9300—34800 with Grade Pay of ₹ 4200 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7.

Note 2 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of application.

Note 3 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion and confirmation consisting of :— 1. Director General (Road Development) or Additional Director General —Chairman 2. Superintending Engineer (Civil or Mechnical) —Member 3. Director or Deputy Secretary (Administration) —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. A-12018/1/2009-E II (B)]

D. R. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मई, 2012

सा.का.नि. 98.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पोत परिवहन और सड़क परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष), तकनीकी सहायक (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1982 तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, सड़क पक्ष, (मुख्य नक्शानवीस) भर्ती नियम, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तकनीकी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, तकनीकी अधिकारी, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी अधिकारी	11* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2; 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक/वृत्तिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु.+ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसा वरिष्ठ तकनीकी सहायक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसने केन्द्रीय सरकार के संगठनों द्वारा संचालित राजमार्ग सेक्टर में दस दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पर वेतनमान ढांचा विस्तारित किया गया है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी अथवा नक्शानवीसी में डिप्लोमा; (ii) सरकारी संगठन में डिजाइन कार्य और/अथवा आरेखण तैयार करने का एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(11)	
	टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 से, वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए वहां जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलित किया गया है और जहां यह फायदा केवल उसी पद (उन पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
प्रोन्नति पर विचार किए जाने के लिए समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) महानिदेशक (सड़क विकास) या अपर महानिदेशक : अध्यक्ष (2) अधीक्षण इंजीनियर (सिविल या यांत्रिकी) : सदस्य (3) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) : सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-12018/1/2009-ईII (बी)]
डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd May, 2012

G.S.R. 98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Shipping and Transport (Roads Wing), Technical Assistant (Gazetted) Recruitment Rules, 1982 and Ministry of Surface Transport, Roads Wing, (Chief Draftsman) Recruitment Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer in the Ministry of Road Transport and Highways, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, Technical Officer, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the post, its classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Officer	11* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 Rs. 9300—34800 plus Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational/ professional qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation	**Promotion :** Senior Technical Assistant in Pay Band-2 Rs 9300-34800 plus grade pay Rs 4200/- with five years' regular service in the grade and having successfully completed ten days Orientation programme in Highway Sector conducted by Central Government Organisations. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation :—

Officers under the Central Government :—

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with two years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in Pay Band-2 Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualification and experience :—

(i) Diploma in Civil Engineering or Draftsmanship from a recognized university or Institute;

(ii) one years' experience in Designs work and or preparation of drawings in Government organisation.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age limit for appointment shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

Note 4 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Department Promotion Committee for considering Promotion consisting of :— (1) Director General (Road Development) or Additional Director General : Chairman (2) Superintending Engineer (Civil or Mechanical) : Member (3) Director or Deputy Secretary (Administration) : Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

[F. No. A-12018/1/2009-EII (B)]

D. R. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मई, 2012

सा.का.नि. 99.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ((अधीनस्थ तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2004 को जहां तक उनका संबंध प्रधान परियोजना संगणक, नक्शानवीस श्रेणी-1 और नक्शानवीस श्रेणी-2 के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ तकनीकी सहायक	64* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	30 वर्ष से अनधिक **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख के जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : 1. (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा; या (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा पॉलीटेक्नीक से नक्शानवीसी में दो वर्षीय प्रमाण-पत्र; और 2. सरकार या उपक्रमों या किसी स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में नक्शानवीसी में एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

(7)	
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
1. 95 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और 2. 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में ऐसा तकनीकी सहायक, जिसने उस ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसने केन्द्रीय सरकार के संगठनों द्वारा संचालित राजमार्ग सेक्टर में दो सप्ताह का बुनियादी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा : परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006, वह तारीख, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान ढांचा विस्तारित किया गया है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर उन पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में दस वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं । **टिप्पण 1 :** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(11)

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 से, वह तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए वहां के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलित किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
प्रोन्नति तथा पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. अपर महानिदेशक —अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर (सिविल या यांत्रिकी) —सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशासन) —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं हैं

[फा. सं. ए-12018/2//2009-ईII(बी)]

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd May, 2012

G.S.R. 99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Road Transport and Highways (Subordinate Technical Posts) Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the posts of Head Project Computer, Draftsman Grade-I and Draftsman Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the mehod of recruitment to the post of Senior Technical Assistant, in the Ministry of Road Transport and Highways, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, Senior Technical Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band, and grade Pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Technical Assistant	64* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial,	PB-2, ₹ 9300—34800 + Grade Pay ₹ 4200	Selection	Not exceeding 30 years **Note 1:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India,(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshawdeep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : 1.(a) Diploma in Civil Engineering from a recognised University or Institute, or (b) Two years Certificate in Draftsmanship from recognised Industrial Training Institute or	No	Two years for direct recruits and promotees

(7)	
Polytechnic approved by National Council for Vocational Training, Ministry of Labour:;and 2. One year experience in draftsmanship in Government or Undertakings or in an Autonomous body or Public Sector Undertaking, **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.
(10)	(11)
1. Ninety five per cent by direct recruitment; and 2. five per cent by promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	**Promotion :** Technical Assistant in Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2400 with ten years' regular service in the grade having successfully completed two weeks Foundation Course in Highway Sector conducted by the Central Government Organisations. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(11)
Deputation :— Officers under the Central Government :— (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits in Column 7. **Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion and confirmation consisting of :— 1. Additional Director General —Chairman 2. Superintending Engineer (Civil or Mechanical) —Member 3. Under Secretary (Administration) —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/2/2009-E II (B)]

D. R. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मई, 2012

सा.का.नि. 100.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ((अधीनस्थ तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उनका संबंध नक्शानवीस श्रेणी-3 के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, नक्शानवीस, श्रेणी-3 जिन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तकनीकी सहायक के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है, के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, तकनीकी सहायक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करते हुए इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी सहायक	07* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, ₹ 5200—20200 रु.+ ग्रेड वेतन ₹ 2400	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) । **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो

		(6)
		जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या पॉलीटेक्नीक से नक्शानवीसी में दो वर्षीय प्रमाण-पत्र; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा; और (iv) केन्द्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत्त निकायों में नक्शानवीसी में एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पण** : अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर, सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(क) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ख) 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** समूह 'घ' कर्मचारिवृन्द/बहुकार्य कर्मचारिवृन्द बशर्ते कि वे सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं पूरी करते हैं और जिन्होंने विहित विभागीय अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन उस श्रेणी में कम से कम 8 वर्ष की नियमित सेवा की है। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1; 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. के ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 में विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं । **टिप्पणी 1** : प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे । **टिप्पणी 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 3** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006, वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए वहां के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलित किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अपर महानिदेशक —अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर (सिविल या यांत्रिक) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय —सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशासन) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018/3/2009-ईII(बी)]

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd May, 2012

G.S.R. 100.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Road Transport and Highways (Subordinate Technical Posts) Recruitment Rules, 2004, in so far as it relates to the post of Draftsman Grade-III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the mehod of recruitment to the post of Draftsman Grade-III, redesignated as Technical Assistant, in the Ministry of Road Transport and Highways, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, Technical Assistant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post,its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band, and grade Pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Assistant	07* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1, ₹ 5200—20200 plus Grade Pay of ₹ 2400	Non- Selection	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India,(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and

(6)
Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) 10th Class pass from a recognised Board ; (ii) Two years Certificate in Draftsmanship from recognised Industrial Training Institute or Polytechnic approved by National Council for Vocational Training, Ministry of Labour; or (iii) Diploma in Civil Engineering from a recognised University or Institute; and (iv) one year experience in Draftsmanship in Central Government, Public Sector Undertaking or autonomous bodies. **Note :** The qualification (s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
(a) 80 per cent by direct recruitment. (b) 20 per cent by promotion failing which by direct recruitment failing both by deputation.	**Promotion :** Group 'D' Staff/Multi Tasking Staff provided they fulfill the Qualifications prescribed for direct recruitment with at least eight years of regular service in the grade subject to passing prescribed Department qualifying test. **Deputation :** Officers under the Central Government :— (a) (i) holding analogous post ; or (ii) with 8 years service in the grade in the Pay Band-1 Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1900 ; and (b) possessing educational qualification prescribed in Column 7. **Note 1 :** The deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Additional Director General, Ministry of Road Transport and Highways —Chairman 2. Superintending Engineer (Civil or Mechanical), Ministry of Road Transport and Highways —Member 3. Under Secretary (Administration), Ministry of Road Transport and Highways —Member	Not applicable

[F. No. A-12018/3/2009-EII (B)]

D. R. SHARMA, Under Secy.